U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 252/2017

vihykUV बनाम **jLikWUVl**

1. श्री गोरखाराम के कायम मुकामः
   1. श्रीमती तारी बेवा गोरखाराम
   2. पूंजाराम पुत्र
   3. लाडूराम पुत्र
   4. मुगटाराम पुत्र
   5. चिंतामणराम पुत्र सभी निवासी– ग्राम– निम्बली तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

बनाम

1. दीपसिंह पुत्र कमलसिंह के कायम मुकामः
   1. रिडमलसिंह पुत्र
   2. पन्नेसिंह पुत्र
   3. जामतसिंह पुत्र सभी निवासी– झिंझीनियाली तहसील–फतेहगढ जिला जैसलमेर।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 7.9.2016 न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,जैसलमेर जो राजस्व अपील संख्या 05/2014 दीपसिंह के का0मु0 बनाम राज0 सरकार में पारित किया।

उपस्थितीः––
1. श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

fu.kZ;

fnukad% 06-01-2020

1. अपीलान्ट के द्वारा यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धाारा 76 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, जालोर ने प्रथम राजस्व अपील संख्या 05/2014 अनवान दीपसिंह के का0 मुकाम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 7.9.2016 के विरूद्व दिनांक 7.11.2016 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम कुण्डा के ख0सं0 80 रकबा 330 बीघा व ख0सं0 222 में रकबा 8 बीघा, ख0सं0 31 में रकबा 65 बीघा 8 बिस्वा, तथा ग्राम झिंझिनियाली के ख0सं0 385 में रकबा 208 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पो0 के पिता की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि

के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार जैसलमेर द्वारा दिनांक 21.09.1977 को अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत किया गया, जिसे रेस्पो0 संख्या एक ने बिना सक्षम न्यायालय/सक्षम स्वीकृति के स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा रेस्पो0 की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 02 दिनांक 21.9.1977 को निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.9.2015 से व्यथित होकर वर्तमान अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के संलग्न अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलान्टस के अधिवक्ता को सुना गया।

3. अपीलान्ट के अभिभाषक के द्वारा धारा 96 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार की गई बहस पर मनन करने के उपरान्त अपीलान्ट अपीलाधीन आदेशों में वर्णित खसरान भूमि में वर्तमान में खातेदार दर्ज होने से प्रभावित व्यक्ति/पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः इन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।

5. पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय जैसलमेर के समक्ष यह अंकित करते हुए प्रथम अपील प्रस्तुत की कि ग्राम कुण्डा के ख0सं0 80 रकबा 330 बीघा व ख0सं0 222 में रकबा 8 बीघा, ख0सं0 31 में रकबा 65 बीघा 8 बिस्वा, तथा ग्राम झिंझिनियाली के ख0सं0 385 में रकबा 208 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पो0 के पिता की खातेदारी में दर्ज थी। जिसके सम्बन्ध में सिलींग केस संख्या 72/1975 सरकार बनाम दीपसिंह दर्ज किया गया और वो प्रकरण खारिज कर दिया गया परन्तु अपीलाधीन नामा0 संख्या 02 ना0 तहसीलदार जैसलमेर ने दिनांक 21.9.77 को स्वीकृत करते हुए खसरा संख्या 80 की भूमि को सिलींग सरप्लस करते हुए सिवाय चक दर्ज

राजस्व अपील संख्या 252/2017 गोरखाराम के का0मु0 बनाम दीपसिंह वगैराह कर दी गई। सिलींग सरपल्स दर्ज होने के उपरान्त उक्त भूमि का विभिन्न समय में विभिन्न व्यक्तियों को आवंटन कर दिया गया।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की प्रथम अपील में वर्णित तथ्यों को आधार मानते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 02 बिना किसी ठोस कारणों के आधार पर निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधि अनुरूप उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त नामा0 स्वीकृति के पश्चात खसरा संख्या 80 में से अपीलान्ट के पिता गोरखाराम के हक में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.78 को 55 बीघा 9 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया जिसके क्रम में उनके पिता ने कब्जा प्राप्त कर लिया तब से आज दिनांक पर अपीलान्ट के पिता एवं उनके पश्चात अपीलान्ट कब्जा काश्त चले आ रहे है। अपीलान्ट के पिता के देहान्त उपरान्त उक्त भूमि का फौतेदगी नामा0 संख्या 486 स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त भूमि आवंटन के पश्चात पूर्व नामा0 संख्या 02 का स्वतंत्र अस्तित्व मर्ज हो चुका है एवं भूमि में तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित हो चुके है जो निरन्तर चले आ रहे है।

7. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उक्त आवंटन आदेश को अपने जीवनकाल में कभी भी चुनौती पेश नहीं की गई एवं दीपसिंह के निधन के वर्षो उपरान्त उनके पुत्र द्वारा प्रथम अपील अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसका कोई औचित्य ही नहीं था। रेस्पोडेन्टस को चाहिये था कि उन्हें भूमि आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी या सिलिंग सरपल्स आर्डर की अपील करनी चाहिये थी तथा रेस्पो0 के हिस्से की ली गई भूमि के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद/अपील प्रस्तुत करते। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवंटन कार्यवाही प्रश्नगत ही नही थी उसके उपरानत भी उनके द्वारा इसका वर्णन/ विनिश्चिय अपने आदेश में किया गया है। अपीलान्ट को जो भूमि आवंटित की गई थी वह सिवाय चक भूमि थी तथा वह भूमि रेस्पो0 दीपसिंह से अधिग्रहित ही नहीं की गई थी, इसलिये रेस्पो0 को अपीलान्ट के आवंटन भूमि में इस नामा0 अपील के जरिये हस्तक्षेप करने का कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं था।

8. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील पर निर्णय करने से पूर्व अपीलाधीन

नामा0 संख्या 02 जो दिनांक 21.9.77 को स्वीकृत हुआ था के लगभग 39 वर्ष पश्चात प्रथम अपील पेश की गई उसमें वादग्रस्त भूमि के वर्तमान खातेदारान एवं अपीलान्ट को न तो पक्षकार बनाया गया और न किसी प्रकार से कोई सूचना दी गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया, ऐसे में अपीलान्ट के प्राकृतिक/नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों का हनन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 एक की प्रथम अपील जो कि लगभग 39 वर्षो पश्चात प्रस्तुत की गई थी, को स्वीकार किये जाने से पूर्व म्याद के सम्बन्ध में कोई विनिश्चिय नहीं दिया और न ही डिले को कन्डोन करने के सम्बन्ध में अपना निष्कर्श पारित किया।

9. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया किदिनांक 8.1.1976 को धारा 12 के स्टेटमेन्ट के अनुसार दीपसिंह के खाते में से 1745 बीघा 12 बिस्वा भूमि सिलिंग सरपल्स डिक्लेयर की गई जो उप जिलाधीश, जैसलमेर के द्वारा की गई थी जिसमें स्पष्ट इंगित था कि उक्त भूमि को विधिवत तरीके से सिलींग सरप्लस भूमि सिवाय चक डिक्लेयर की गई है तत्पश्चात ही उसका आवंटन अन्य व्यक्तियों को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा रेकर्ड में कांट–छांट करते हुए अलग दस्तावेज पेश किये गये है जो कि धारा 12 के स्टेटमेन्ट से कतई मेल नहीं खाते है। जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं रेस्पो0 ने दिनांक 19.01.1976 के आदेश को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

10. अपीलान्ट के अभिभाषक ने अन्य में यह कथन किया कि अपीलान्टस अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एवं उनके परिवार को भूमिहीन के तौर पर आज से लगभग 39 वर्ष पूर्व भूमि का आंवटन नियमानुसार उपजिलाधीश जैसलमेर के द्वारा किया गया था तब से लेकर आज दिनांक तक वे अपने परिवार सहित उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपीलान्टस की उक्त भूमि हडप करने के प्रयोजन से अपीलाधीन नामा0 अपील के जरिये चुनौती देकर विवाद प्रस्तुत किया गया है और अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्ट के हक–अधिकारों पर पडने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से कोई विनिश्चिय/निष्कर्श नहीं दिया है। अतः उपरोक्त सभी आधारों पर गौर फरमाते हुए अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे तथा प्रथम अपीलीय न्ययालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.9.2016 को निरस्त किया जावे तथा नामा0 संख्या 02 दिनांक 21.9.1977 को यथावत बहाल रखा जावें।

11. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि अनुकूल होने से उचित है जो बहाल रखा जावें। अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वितीय अपील में म्याद के बिन्दू को पुनः तय नहीं करवा सकते है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त म्याद अवधि को कन्डोन करने के उपरान्त ही रेस्पोडेन्ट संख्या एक की प्रथम को गुणावगुण पर निर्णित किया है।

12. रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 पूर्ण रूप से गलत तथ्य यानि किसी अधिकारी का आदेश अंकित किये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया जबकि उप जिलाधीश जैसलमेर के न्यायालय में मुकदमा संख्या 72/1975 अनवान सरकार बनाम दीपसिंह जो कि अन्तर्गत धारा राज0 कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत वाद पेश हुआ उसमे न्यायालय द्वारा अधिक भूमिधारी को धारा 11 की उपधारा 1 के तहत नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 19.1.1976 की तारीख पर राजकीय अभिभाषक के द्वारा भूमिधारी के पास निर्धारित अधिकतम सीमा से कम भूमि होने से कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की जा सकती, दर्शाया जिस पर उप जिलाधीश न्यायालय द्वारा अलग से निर्णय लिया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। उक्त वाद में पारित निर्णय दिनांक 19.1.1976 के अनुसार प्रकरण में अंकित भूमिधारी यानि रेस्पोडेन्ट दीपसिंह पुत्र कमलसिंह के पास 672/2 बीघा भूमि है जो उनके लिये निर्धारित अधिकतम सीमा से कम है अतः भूमिधारी से कोई भूमि अवाप्त नहीं जा सकती। पत्रावली खारिज की जाती है। ऐसे में रेस्पोडेन्टस की खातेदारी भूमि में से बिना किसी सक्षम आदेश के ही तत्कालीन पटवारी द्वारा मात्र सिलिंग के आदेश अनुसार अंकित करते हुए खसरा संख्या 80/467 रकबा 166.08 बीघा सरकार हक में अपीलाधीन नामा0 संख्या 02 दिनांक 21.9.1977 को स्वीकृत कर दिया जो स्वीकृत किये जाने योग्य ही नहीं था।

13. रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय में सरकार राज की ओर से जवाब दिनांक 23.5.16 पेश किया था उसमें भी उनके द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 02 को कानून विरूद्ध एवं राजस्व अभिलेख विरूद्ध होने से खारिज योग्य बताया था तथा नामा0 के पूर्व के राजस्व रेकर्ड की स्थिति कायम करते हुए मुझ रेस्पोडेन्ट के नाम से खातेदारी दर्ज करने के न्यायोचित आदेश पारित

करने का निवेदन किया जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने तथा सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब पर मनन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 02 को निरस्त करने के आदेश पारित किये है जो यथावत बहाल रखा जावें।

14. रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलाधीन नामा0 को खारिज करते हुए यह भी अंकित किया गया है कि उक्त नामा0 के प्रभाव से और इसकी निरन्तरता में जो राजस्व अभिलेख में अधिकारों का सृजन उदभूत हुआ है उससे प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से उनके विरूद्ध कोई आदेश प्रभावी करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से इस नामा0 को खारिज करने से उन पर यह निष्प्रभावी रहेगा। ऐसे में वर्तमान अपीलान्टस के हक—अधिकारों पर भी किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पडने वाला है। अतः इन सभी आधारों पर गौर फरमाते हुए अपीलान्टस की अपील को अस्वीकार किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.9.2016 को यथावत बहाल रखा जावें।

15. हमने दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश, अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपने आदेश दिनांक 7.9.2016 के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 02 दिनांक 21.9.1977 को निरस्त किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त खसरा संख्या 80 की दर्ज रकबा भूमि की वर्तमान समय की जमाबन्दी अनुसार रेकर्डेड खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। क्योंकि उल्लेखित नामा0 की कार्यवाही होने के उपरान्त भूमि राज हक में दर्ज हुई तत्पश्चात आवंटन कमेटी के द्वारा अन्य व्यक्तियों को आवंटित की गई और वर्तमान समय में भूमि उनके नाम में खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। ऐसे में उनके खातेदारी अधिकार निश्चित रूप से प्रभावित हुए है।

16. इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामा0 संख्या 02 को निरस्त किये जाने से पूर्व उसमें अंकित ''सिलिंग के आदेश के अनुसार'' सिलिंग आदेश से सम्बन्धित जिला कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख तलब कर उनका गहनता से परीक्षण किया जाना

आवश्यक था, जिससे स्पष्ट हो जाता कि उल्लेखित आदेश हुआ था या नहीं और वह इसी नामा0 कार्यवाही से सम्बन्धित हुआ था या नहीं। अपीलाधीन नामा0 आदेश में राजस्व कर्मियों द्वारा कॉलम संख्या 14 में ''सीलिंग आदेश के अनुसार'' अंकित किया गया है, उक्त तथ्य बिना किसी सिलिंग आदेश हुए, के नामा. स्वीकृति हेतु अंकित नहीं किये जा सकते थे, ऐसा आदेश पारित होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

17. इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र राजकीय पैरोकार के द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर उनके तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि उक्त जवाब पर सम्बन्धित तहसीलदार के कोई हस्ताक्षर अथवा तहसील कार्यालय अंकित नहीं है, ऐसे में उक्त अपील जवाब की विश्वसनीयता एवं मिलीभगती का संदेह प्रकट करती है। रेस्पोडेन्टस दीपसिंह की खातेदारी में दर्ज भूमि के सम्बन्ध में पुराने सिलिंग कानून के तहत तथा नये सिलिंग कानून के तहत की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जॉच करवाया जाना भी आवश्यक था जिससे यह स्पष्ट हो जाता कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 02 में उल्लेखित सिलिंग आदेश पुराने सिलिंग कानून के तहत किया गया था अथवा नये सिलिंग कानून के तहत। इस प्रकार उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों पर मनन करने के उपरान्त हमारा विनम्र मत यह है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.9.2016 विधि अनुसार पारित नहीं होने के कारण उक्त आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय किये जाने हेतु अति. जिला कलेक्टर, जैसलमेर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

18. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के प्रस्तुत अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2016 को निरस्त किया जाता है तथा अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन नामा0 में वर्णित खसरान भूमि के वर्तमान जमाबन्दी रेकर्ड में दर्ज सभी खातेदारान को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर देवें साथ ही अपीलाधीन नामान्तरकरण में कॉलम संख्या 14 में अंकित किये गये आदेश यानि ''सिलिंग के आदेश के अनुसार'' से सम्बन्धित जिला कलेक्टर कार्यालय से उक्त वादग्रस्त भूमि हेतु पारित सिलिंग आदेशों के पूर्व के समस्त राजस्व

राजस्व अपील संख्या 252/2017 गोरखाराम के का0मु0 बनाम दीपसिंह वगैराह

अभिलेखों को तलब कर उनका गंभीरतापूर्वक परीक्षण करे तथा उनकी सत्यता की जॉच करने के उपरान्त नये सिरे से आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर